(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2002

सा.का.नि. 523.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल चण्डीगढ़ में आचार्य (यक्ष्मा और श्वसन रोग), उपाचार्य (यक्ष्मा और श्वसन रोग) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (यक्ष्मा और श्वसन रोग) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल चण्डीगढ़ में (यक्ष्मा और श्वसन रोग), उपाचार्य (यक्ष्मा और श्वसन रोग) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (यक्ष्मा और श्वसन रोग) (समूह ''क'' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं आदि . — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह; ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,

आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 7. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | 加姆· (mit) | वेतनमान | चयन योग्यता या चयन-सह-ज्येष्ठता | सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए |
|---|--|--|-----------------|---|---|---|
| | | | |) तं कार्यत्वात् व | के आधार पर या अचयन पद | आयु-सीमा |
| 1 | 2 | 3 | ্ৰাক ভাৰ্চ | 和的14章,的变形的 | s arts was new (iff) | 6 |
| 1. आचार्य (यक्ष्मा और श्रवसन रोग) | 1* (2002) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण वे सेवा, समृ राजपत्रित अननुसचि | ह् 'क' ग्वीय | | लागू नहीं होता | 50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) |
| | na ana 1 Sin sa atau Sin sa Ingela Sin sa atau | | | n en stalstaden en se Handelse en skriver Handelse en skriver | स्वतः आयम्भः २ भिक्षण्डानम् अन् प्रायम् २, मध्यां स्वते जो दे यस्य सम्पन्ने भिक्रमा होतुषु य १ हे सिन्द्र प्रथते संपन्न ज्यास्त्रे | ाटप्पणः आयु-साम अवधारित करने के लिप निर्णायक तारीख भारत के |

3750 GI/2002-

THE GAZETTE OF INDIA: DECEMBER 28, 2002/PAUSA7, 1924

[PART II-SEC. 3(i)]

NI ----

1 2

3.

| | and a second | | 6 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|--|--|---|---|---|
| | | . the report | करने के लिए निय | |
| $\sum_{i=1}^{n} \left(e_{i} + e_{i} \right) = e_{i} + e_$ | | Annatio de Annatorio Annatio de Annatorio | अंतिम तारीख होग | |
| la substitution activities in it will | e nige name ike nige en en en ekse state. | este na stear. | वह अंतिम तारीख | |
| | ing have graves and a second | and a second | मेघालय, अरुणा | |
| A REAL PROPERTY AND | ersen gerrin de del con 1977, 13 (| | मिजोरम, मणिपुर | |
| the state in the second se | | | त्रिपुरा, सिक्कि कश्मीर राज्य | भ, जन्मू |
| | | | कश्मार राज्य खंड, हिमाचल | |
| | | | खड, हिमाचल लाहौल और स | जीति जि |
| | | 1. Salar and | तथा चम्बा-जिल | ले के पांग |
| $= \max_{i \in \mathcal{I}} \left\{ \mathbf{y}_i \in [\mathbf{y}_i] : \forall \mathbf{y}_i \in [\mathbf{U}_i] : i \in \mathcal{I} \right\} \in \mathbb{R}^{n \times n \times$ | a sector of the sector of the sector of the | tender in der Bereicht. Beinderen ersten Berneher | राया पन्या गया उपखंड, | अदंम |
| | | | और निकोबा | |
| | n an an an an an Andread an State an A State and Andread and Angeler and Ang | gille, de la company | 0 2 | भ्यर्थियों |
| | 11月1日日 日本 | | लिए विहित की | गई है।) |
| | | A Martin Martin | leig i sien m | |
| | a stability is said in a spectrum of the | W.2017 13245847 045 | President and | 2 |
| | ए जाने वाले व्यक्तियों केलिए अपेक्षित शैक्षिक | सीधी भर्ती किए उ | | কা |
| N | Lawi . | व्यक्तियों के लिए | | |
| केन्द्रीय सिविल सेवा और अन्य अह | ताए | आयु और शैक्षिक | | |
| (पेंशन) नियम, 1972 के | ्रत हो समस्य स्था के स्वीयन सिंही है के ¹ अन | प्रोन्नत व्यक्तियों | की दशा | |
| नियम 30 के अधीन | | में लागू होंगी या | नहीं | |
| | | And the second | | |
| अनुज़ेय है या नहीं | | | 10 | |
| 7. जी हां आवश्यक :- | आरामिजान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 क | 9 आयु : नहीं 1 ् शैक्षिक अर्हताएं | : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7. जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय (i) भारतीय 102) की र्गि | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क कसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक पर गर समवल्य अर्हता और वह किसी राज्य | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। | – आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। | – आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की ि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किसी | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी | आयु : नर्ही । रौक्षिक अर्हताएं - - - | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकत्सक र हो। (ii) किस्त (यक्ष्मा)/ए | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी प की (सक्ष्म) और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध) | आयु : नर्ही । रौक्षिक अर्हताएं - - - | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की ि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किर्स (यक्ष्मा)/ए के साथ टी | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी म.डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध) डी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ | आयु : नर्ही । रौक्षिक अर्हताएं - - - | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की ि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत की मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी म.डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध) डी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ या समतुल्य। | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त) र | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की ि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किर्स (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र | | आयु : नर्ही । शैक्षिक अर्हताएं त त र र | सीधे भर : हां वाले व्य | ाक्तियों के |
| 7 जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किर्स (यश्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना | - आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी म.डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध) डी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ या समतुल्य। तकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृर्गि | आयु : नर्ही । शैक्षिक अर्हताएं त त र र | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर | क वर्ष । जन्म जन्म जन्म |
| 7 जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किर्स (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आवश्यक :- | - आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक त्य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी म.डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध) डी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ वा समतुल्य। तकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृर्ि का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष किसी मान्यता प्राप् न महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचा | आयु : नर्ही । शैक्षिक अर्हताएं त त र र | सीथे भर : हां वाले व्य लिए ए | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस् (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आयुर्विज्ञा- के रूप में | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत तिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत दी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ या समतुल्य। तकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृर्ि का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष किसी मान्यता प्राप् न महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचा होना चाहिए। | आयु : नर्ही । शैक्षिक अर्हताएं त त र र त र | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की पि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किसी (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आवश्यक :- | | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त त र र त र र श | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस् (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आयुर्विज्ञान के रूप में टिप्पण 1 हे जंग न्ये | – आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत तिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत दी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ या समतुल्य। तकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृर्ि का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष किसी मान्यता प्राप् न महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचा होना चाहिए। | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त त र र त र र श | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर निर्ण पर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किसी (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) किसी पक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आयुर्विज्ञा- के रूप में टिप्पण 1 में संघ लो है। | आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी म.डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध) डी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ या समतुल्य। तकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृत्ति का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष किसी मान्यता प्राप् न महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचा होना चाहिए। । : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की द क सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सक | आयु : नहीं र शैक्षिक अर्हताएं त त र र त त र त त र त त त त | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जी हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस्त (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आयुर्विज्ञा- के रूप में टिप्पण 1 में संघ लो है। | आयुर्विज्ञान परिषद अधितियम, 1956 (1956 क केसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक य या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिटर में रजिस्ट्रीकृत ते मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी म.डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम.डी. (औषध डी डी, डीटीडी या डीटीसीडी/एम डी (यक्ष्मा औ वा समतुल्य। तकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृि का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष किसी मान्यता प्राप् न महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचा होना चाहिए। : —अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की द क सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सक | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त त :) र त त न्त्र र्य शा | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर निर्ण पर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्नाप में10 वर्ष र आयुर्विज्ञान के रूप में टिप्पण 1 में संघ लो है। टिप्पण 2 | | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त र त त त त र त त त त न त न त | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर निर्ण पर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की f विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किसी (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र संवा आय देवा जा देवा पा | | आयु : नहीं । शैक्षिक अर्हताएं त त :) र र ते र त र र र र त न ती | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर निर्ण पर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की रि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस् (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आयुर्विज्ञान के रूप में टिप्पण 1 में संघ लो है। टिप्पण 2 | | आयु : नहीं त शैक्षिक अर्हताएं त त र त र त त त त न त न त न त न त न न न न | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर निर्ण पर | ाकितयों के क वर्ष । |
| 7 जो हां आवश्यक :- (i) भारतीय 102) की रि विश्वविद्याल चिकित्सक र हो। (ii) किस् (यक्ष्मा)/ए के साथ टी वक्ष रोग) र (iii) स्ना में10 वर्ष र आयुर्विज्ञान के रूप में टिप्पण 1 में संघ लो है। टिप्पण 2 | | आयु : नहीं त शैक्षिक अर्हताएं त त र त र त त त त न त न त न त न त न न न न | सीथे भर : हां वाले व्य लिए एर निर्ण पर | ाकितयों के क वर्ष । |

| 8 | |
|--|---|
| में उपलब्ध होने की सम्भाव वांछनीयः कम से कम च मैडीकस/राष्ट्रीय जर्नलों | वार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स में तथा एक अनुसंधान प्रकाशन, |
| अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में अनु | क्रमणिकाबद्ध हो। |
| a second a second a | |
| तीं की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति- नियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
| ारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न द्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | • |
| 11 PE +1 2 FINE | 12 |
| hanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana kanana Kanana kanana | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारं/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी : |
| The second se | का स्वयंग के किय |
| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरच | ना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किय जाएगा। |
| | even and here the residue in a provide shirt 14 when it is the |
| 13 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि प विचार करने के लिए): — 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महा- विद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | रोजा आपगेग में परामर्श आवश्यक ह |

THE GAZETTE OF INDIA: DECEMBER 28, 2002/PAUSA 7, 1924

27 4

जा सकता है।

[PART II-SEC. 3(i)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
|--|--|---|---|---|
| 2. उपाचार्य (अक्ष्मा और श्र्वसन रोग) | 1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय | 16350-450- 18600-500 20,100 रु० जमा प्रैक्टिस- बंदी भत्ता | लागू नहीं होता 50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) |

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

| | and the advantage of the second se | | 10 |
|--|--|--|---------------------------------|
| 7 जो हा कार का का का का का का | डी. (यक्ष्मा और श्वसन रोग)/एम. डो. (आपन) के क्या देखे या डी टी सी डी/एम डी (यक्ष्मा और वक्ष रोग) समतुल्य। टी डी या डी टी सी डी/एम डी (यक्ष्मा और वक्ष रोग) समतुल्य। (iii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्रवायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में स्नातकोत्तर | | सीधे भर्ती किए जाने वाले |
| | शिक्षण अनुभव। टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन- जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। वांछनीय : — कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मैडीकस/राष्ट्रीय जर्नलों में अनुक्रमणिकाबद्ध हो। | apreserve politike spreserve politike spreserve politike spreserve politike | I de la structura da altra 1 |

| भाग II- | खण्ड 3(i)] | |
|---------|------------|--|
| | | |

| 11 | 12 |
|--|---|
| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) (1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जो 14300-18300 रु॰ के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं; और (ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हों। (2) ज्येष्ठ प्राध्यापक (यक्ष्मा और श्वसन रोग) की श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। |
| | इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी य किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है साधारणतय पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेद |

| and a second track of the second second | service when we are not taken to be taken to be the taken of the service of the s |
|--|--|
| 13 | .14 |
| समूह''क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):— | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है। |
| गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन — अध्यक्ष | satisfient for advisors of the second states of the second |
| सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन — सदस्य | () Display in the interval subgradies I and provide the subgradies of the subgra |
| प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महा- विद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य | $\frac{1}{ \mathbf{h} ^2} = \frac{1}{ \mathbf{h} ^2} = \frac{1}$ |
| सरकार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष —सदस्य | |

1907 **- 1**97 - 197

| 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | | 6 | . Del |
|-----------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| . ज्येष्ठ | 1* | साधारण केन्द्रीय | 14300-400- | लागू नहीं होता | | 50 वर्ष से अनधिव | |
| . ज्यूछ गध्यापक | (2.00)2) | सेवा, समूह 'क' | 15900-450 | | | (केन्द्रीय सरकार | and the second |
| A CARLES AND A CARLES | (2.00/2) *ग्कार्याभार के | राजपत्रित | 18150 হৃ৹ | ne planet provinsi su statu. N | | अनुदेशों या अ | |
| यक्ष्मा और | | अननुसचिवीय | जमा प्रैक्टिस- | an Britship | | | लिए 5 वर्ष तक |
| वसन रोग) | अाधार पर 'परिवर्तन किया | M1.J(11 4 41 1 | बंदी भत्ता | (0,0) | | शिथिल की जा सब | कती है।) |
| • | जा सब्कता है। | | | | | टिप्पणः आयु- | सीमा अवधारित |
| | | | in an above the | 100 | | करने के लिए निष | र्गायक तारीख भारत |
| | PP WE FE PROPERTY | | and told theme | | | में अभ्यर्थियों से अ | आवेदन प्राप्त करने |
| | | | | | | के लिए नियत की | गई अंतिम तारीख |
| | et net et instan | Note in the first b | 市、市市中、市(月)門 | $\{p_i^{(1)}\}_{i=1}^{N} \in \mathcal{A}_{i}^{(2)} = \{p_i^{(1)}\}_{i=1}^{N} \in \mathcal{A}_{i}^{($ | | होगी (न कि वह | अंतिम तारीख जो |
| | | | is intra movie for | | | असम, मेघालय. | अरूणाचल प्रदेश, |
| | | | WEAR A STATIST | garlast () | | मिजोरम मणिपर | , नागालैंड,त्रिपुरा, |
| | \$P\$ | | Service preti such from | | | सिकिकम जम्म- | -कश्मीर राज्य के |
| | and the diff. | npfort in 1878 | and the freedom | | | लहारव खंड हिमा | चल प्रदेश के लाहौल |
| 216 64-53 | and the state of the | arns करी ग्रामों | sales and the public | | | और स्पीति जिले | तथा चम्बा जिले के |
| | | | tere start to the t | engisti - | | पांगी उपखंड अर | रंमान और निकोबार |
| | | | | | | तीप या लक्षदीप वे | त अभ्यर्थियों के लिए |
| | to a decide and | nije socialisti | Cost AD. of Max | \$P(P) | | विहित की गई है। | |
| | | the little of the second | AND AN ANTI- | 17 + (x) W | | 191011 11 12 01 | |
| 1 | n an an the second states of | h ann Arster ann | জন নির্দালনির সম | p. (155 - | | | |
| 1 - YEARD _ UPP1 | | | | | | | |
| | | | LITE THE ENT | | | | |
| | | a a sanda | ,1915、181-181°。 | the production of the second second | 9 | 10 | - ant - |
| 7 नहीं | आवश्यः हः | 8 | हित्र के सिंह सिंह के सिंह इ. अधिनियम, 1956 | ् | 9 नागू नहीं हो | | त्रर्घ |
| 7 (12) | आवश्यः हः (1) (i) भाग 102) की किस विद्यालय या सम् या भारतीय दि (ii) किसी भा | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिषय मे एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्याल और श्वसन रोग)/एम | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। जय/संस्था से एम. ड . डी. (औषध) के र | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर ती.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, | - | | त्रर्थ |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किस विद्यालय या सम या भारतीय दि (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा डी टी डी या डी | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिष ो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह केत्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम दीसीडी/एम डी (यक्ष | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। नय/संस्था से एम. ड ा. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् महाविद्यालय/शिक्षण | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर ती.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, ततुल्य। : संस्था में | तागू नहीं हो | ता एक र | |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किस विद्यालय या सम या भारतीय दि (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा डी टी डी या डी | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिष ो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह केत्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम दीसीडी/एम डी (यक्ष | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। नय/संस्था से एम. ड ा. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् महाविद्यालय/शिक्षण | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर ती.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, ततुल्य। : संस्था में | तागू नहीं हो | ता एक र | |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या सम या भारतीय दि (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिषत तो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम देन्नेसीडी/एम डी (यस् न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स तस्ट्रीकृत हो। तय/संस्था से एम. ड डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् महाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक रें | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर की.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में | तागू नहीं हो | ता एक र | |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या स्मि या भारतीय दिसी (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिषत तो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम दिन्नेसीडी/एम डी (यस् न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूगर/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ ता स्त्रजित करने के | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स तस्ट्रीकृत हो। तय/संस्था से एम. ड डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् महाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक रें | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर की.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, ततुल्य। संस्था में के रूप में रोषज्ञता में | तागू नहीं हो | ता एक र | 10000000000000000000000000000000000000 |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यद हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या सम या भारतीय 1 देवी (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई तीन वर्ष का शि | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिषत तो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात जौर श्वसन रोग)/एम दिनीसीडी/एम डी (यक्ष न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूगरा/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ न्ता स्त्रजित करने के इक्षण अनुभव। | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स तस्ट्रीकृत हो। तय/संस्था से एम. ड त. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् महाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक रे पश्चात् संबंधित विर | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर की.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में होपज्ञता में | तागू नहीं हो | ता एक र सीमंग सामग्र | anna an |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यः हः (1) (i) भाग 102) की किस विद्यालय या सम् या भारतीय दि (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस् स्नातकोत्तर अर्ह तीन वर्ष का शि | 8 तीय आयुर्विज्ञान परिष ो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह केत्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्याल और श्वसन रोग)/एम दिन्नैसीडी/एम डी (यक्ष न्यग्ताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूरारा/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ न्ता स्त्रजित करने के स्क्षण अनुभव। | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड तय/संस्था से एम. ड त्य/संस्था से एम. ड ्य/संस्था से एम. ड त्य/संस्था से एम. ड ्य/संस्था से प्र संस्था से प | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर ती.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में होषज्ञता में दशा में संघ | तागू नहीं हो | ता एक र सीमंग सामग्र | anna an |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यः हः (1) (i) भाग 102) की किस विद्यालय या सम् या भारतीय दि (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस् स्नातकोत्तर अर्ह तीन वर्ष का शि | 8 तीय आयुर्विज्ञान परिष ो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह केत्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्याल और श्वसन रोग)/एम दिन्नैसीडी/एम डी (यक्ष न्यग्ताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूरारा/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ न्ता स्त्रजित करने के स्क्षण अनुभव। | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड तय/संस्था से एम. ड त्य/संस्था से एम. ड ्य/संस्था से एम. ड त्य/संस्था से एम. ड ्य/संस्था से प्र संस्था से प | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर की.•(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, मतुल्य। संस्था में के रूप में रोषज्ञता में दशा में संघ हैं। | तागू नहीं हो व का व के | ता एक र सीमंग सामग्र | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यः हः (1) (i) भा 102) की किस विद्यालय या सम् या भारतीय दि (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई तीन वर्ष का शि टिप्पण 1:— लोक सेवा आय | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिष गे एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह केत्सक रजिस्टर में रजि जित्सक रजिस्टर में रजि जिस् श्वसन रोग)/एम दग्रीसीडी/एम डी (यक्ष न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान स्ट्रार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ जा स्त्रजित करने के स्क्रण अनुभव। स्रहताण्ट, अन्यथा सुव वोग के विवेकानुसार रि | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड तय/संस्था से एम. ड तय/संस्था से एम. ड तय/संस्था से एम. ड नय/संस्था से प्र संस्था से स्था से से स्था से स्था से से से स्था से स्था से से स्था से से से स्था से स्था से से स्था से | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर के.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में रोषज्ञता में दशा में संघ हैं। | तागू नहीं हो व को छ) | ता एक र ने सीहोस सामग्रे सीहोस सामग्रे राजाहर ज रुप्ता गीठ करणी ह | र्षे के किल्लान स्वत्य के किल्लान स्वत्य के किल्लान प्रविध्य, साम्रानिदार चंडीगड् प्रभाष्ट्रान् |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किस विद्यालय या सम् या भारतीय दिस (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई तीन वर्ष का शि टिप्पण 1: | 8 तीय आयुर्विज्ञान परिषय ते एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम दिनीसीडी/एम डी (यक्ष न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूरार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ ना भ्रजित करने के स्थ्रण अनुभव। अर्हता एं, अन्यथा सुव् तेन के विवेकानुसार नि | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आधा किसी राज्य चिकित्स तस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड त. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम महाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक वे पञ्चात् संबंधित विश अर्हित अभ्यर्थियों की शिथिल की जा सकती ता (अर्हताएं) संघ ले | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर ती.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, नतुल्य। संस्था में के रूप में रोपज्ञता में दशा में संघ हैं। ोक सेवा | तागू नहीं हो व को छ) | ता एक र नोगान जान्स नोगान जान्स स्वित्र जान्स र प्राह को स्वय | र्षे के विद्यालय स्वतं के विद्यालय स्वतं के के विद्यालय के के विद्यालय चेकी पर स्वतं के स्वतंत्व |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या सम या भारतीय 1 देवी (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई तीन वर्ष का शि टिप्पण 1: | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिषत तो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात जौर श्वसन रोग)/एम दिनेसीडी/एम डी (यक्ष न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान ट्रार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ न्ता क्ष्त्रीर्जत करने के स्क्षण अनुभव। कहिताण्, अन्यथा सुआ तेम के विवेकानुसार नि - अनुभव संबंधी अर्हत | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स तस्ट्रीकृत हो। तय/संस्था से एम. ड त. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् पहाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक रे पश्चात् संबंधित विश् अर्हित अभ्यर्थियों की शेथिल की जा सकती ता (अर्हताएं) संघ ले जातियों या अनुस्चित | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर के. (यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में रोपज्ञता में दशा में संघ दशा में संघ दशा में संघ वक सेवा जन- | तागू नहीं हो व नांक) | ता एक र नोगान जान्स नोगान जान्स स्वित्र जान्स र प्राह को स्वय | र्षे के विद्यालय स्वतं के विद्यालय स्वतं के के विद्यालय के के विद्यालय चेकी पर स्वतं के स्वतंत्व |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यद हः (1) (i) भा 102) की किस विद्यालय या सम् या भारतीय दिस (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस् स्नातकोत्तर अर्ह तीन वर्ष का शि टिप्पण 1 : | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिष ो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्याल और श्वसन रोग)/एम देन्नीसीडी/एम डी (यक्ष न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूरार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ नता स्त्रजित करने के स्क्षण अनुभव। अर्हताण्टं, अन्यथा सुआ तेम के विवेकानुसार जि मजनुभव संबंधी अर्हत कानुभव संबंधी अर्हत | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आधा किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड तय/संस्था से एम. ड ता (अईताएं) संघ ले जातियों या अनुसूचित जा शिथिल की जा | ल (1956 का रेक विश्व क रजिस्टर की.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में होषज्ञता में दशा में संघ हैं। कि सेवा जन- सकती | तागू नहीं हो | ता एक र से सीर्वास प्रस्ति सीर्वास प्रस्ति क प्रस्ति साम्य के आस्त्रिक स्वति | र्षे के किस्सान हर्षे के किस्सान भार करके के कि विद्यालय प्रात्मिय प्रात्मान प्रात्मिय विद्यालय जार स्वर्ग्य |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या स्मि या भारतीय 1 देवी (ii) किसी गा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई तीन वर्ष का शि टिप्पण 1 : | 8 तीय आयुर्विज्ञान परिषय ते एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम दिनीसीडी/एम डी (यस् न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूरार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ ना श्त्रजित करने के स्थ्रण अनुभव । अर्हता एं, अन्यथा सुव् तेन के विवेकानुसार नि - अनुभव र संबंधी अर्हत का मनुसार श्र्मनुसूचित प् म्थ्यियों की दशा में त | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आधा किसी राज्य चिकित्स तस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड त. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम महाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक के पश्चात् संबंधित विभ अर्हित अभ्यर्थियों की शिथिल की जा सकती ता (अर्हताएं) संघ ले जातियों या अनुसूचित ाब शिथिल की जा मंघ लोक सेवा आय | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर ती.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, नतुल्य। न संस्था में के रूप में रोपज्ञता में दशा में संघ हैं। नेक सेवा जन- सकती नेग की | तागू नहीं हो हालक हालक हालक हालक हालक | ता एक र नोवान प्राप्त नोवान प्राप्त क नामक जान हामक जान हामक जान हामक जान | र्भवाद्य अध्यक्षित्र विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यद हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या सम या भारतीय 1 देश (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अई तीन वर्ष का शि टिप्पण 1: | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिषत तो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्यात और श्वसन रोग)/एम दिन्नेसीडी/एम डी (यक्ष न्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान प्रार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ ता क्रजित करने के स्वाण अनुभव। अर्हताण्ट, अन्यथा सुअ तेम के विवेकानुसार नि - अनुभव संबंधी अर्हत कानुसार क्ष्यनुसूचित प् - मर्थियों की दशा में त का किसी प्राक्राम पर स् | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आर्था किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। तय/संस्था से एम. ड त. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम् पहाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक रे पश्चात् संबंधित विर अर्हित अभ्यर्थियों की रेशिल की जा सकती ता (अर्हताएं) संघ ले जातियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों वा आयं रोकतयों को भरने के | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर ते.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में रोपज्ञता में दशा में संघ दशा में संघ दशा में संघ दशा में संघ व्ही । कि सेवा जन- सकती ग की : लिए | तागू नहीं हो हालक हालक हालक हालक हालक | ता एक र विकिस्त सम्पर्भ स् विकिस्त सम्पर्भ स् विकिस्त सम्पर्भ स् र्वे विकिस्त नि र्वे विकिस्त नि | ار المحافظ المح المحافظ المحافظ ا المحافظ المحافظ |
| <u>7</u> नहीं | आवश्यक हः (1) (i) भाग 102) की किसी विद्यालय या सिम् या भारतीय 1 देवी (ii) किसी भा एम डी (यक्ष्मा) डी टी डी या डी (2) किसी मा प्राध्यापक/रजिस स्नातकोत्तर अर्ह तीन वर्ष का शि टिप्पण 1 : | 8 रतीय आयुर्विज्ञान परिष ो एक अनुसूची में समि मतुल्य अर्हता और वह कित्सक रजिस्टर में रजि ान्यताप्राप्त विश्वविद्याल और श्वसन रोग)/एम देन्नीसीडी/एम डी (यक्ष म्याताप्राप्त आयुर्विज्ञान दूरार/ज्येष्ठ रेजीडेंट/ नता स्त्रजित करने के स्क्राज्य अनुभव। अर्हताण्टं, अन्यथा सुअ तेम के विवेकानुसार जि म्हार्य संबंधी अर्हत कानुभव संबंधी अर्हत | द् अधिनियम, 1956 मलित कोई आधा किसी राज्य चिकित्स कस्ट्रीकृत हो। लय/संस्था से एम. ड त. डी. (औषध) के र मा और वक्ष रोग) सम महाविद्यालय/शिक्षण निदर्शक/अध्यापक के पश्चात् संबंधित विश अर्हित अभ्यर्थियों की शिथिल की जा सकती ता (अर्हताएं) संघ ले जातियों या अनुसूचित ाब शिथिल की जा सकती ता (अर्हताएं) संघ ले जातियों या अनुसूचित ाब शिथिल की जा संघ लोक सेवा आय रिक्तियों को भरने के समुदायों के अभ्यर्थ | ल (1956 का रेक विश्व- क रजिस्टर ते.=(यक्ष्मा)/ ताथ टी डी डी, गतुल्य। संस्था में के रूप में रोपज्ञता में दशा में संघ दशा में संघ दशा में संघ दशा में संघ व्ही । कि सेवा जन- सकती ग की : लिए | तागू नहीं हो व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति | ता एक र विकिस्त सम्पर्भ स् विकिस्त सम्पर्भ स् विकिस्त सम्पर्भ स् र्वे विकिस्त नि र्वे विकिस्त नि | र्भवाद्य अध्यक्षित्र विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब विद्यालय क्रियम्ब |

| [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत | का राजपत्र : दिसम्बर 2 | 8, 2002/पौष 7, 1924 | 2767 |
|--|---|--|--|
| 11 | | 12 | and the second sec |
| सीधी हती द्वारा | the second se | गू नहीं होता | ne en san on e comupsi |
| | | | iasejii |
| 13 | 王臣取到不安 | | 14 |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):— | | संघ लोक सेवा आयो | ग से परामर्श आवश्यक है। |
| 2 सनिव आयतिनान शिक्षा और अनसंधान | –अध्यक्ष –सदस्य | ut*(2022) * Subicato Cataban Sepandairan cent-Japa | I. Professor (Tabetestin – sing Respusier, i na rust |
| प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महा- विद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | and the second second second | enib növ fenitarg A | Whether Selection by meth |
| सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष - | –सदस्य | | or delection-anti-anti- loc Pion-selection prost |

[सं॰ वी. 24011/11/2002-एम ई डैस्क-II]

एस॰ के॰ मिश्रा, अवर सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 11th December, 2002

G. S. R. 523.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Tuberculosis & Respiratory Diseases), Reader (Tuberculosis & Respiratory Diseases) and Senior Lecturer (Tuberculosis & Respiratory Diseases) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh. Professor (Tuberculosis & Respiratory Diseases), Reader (Tuberculosis & Respiratory Diseases) and Senior Lecturer (Tuberculosis & Respiratory Diseases), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified In columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualification .- No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE GAZETTE OF INDIA: DECEMBER 28, 2002/PAUSA 7, 1924

[PART II—SEC. 3(i)]

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| | Number o | fpost | Classifica | ation | Scale | ofpay | 2 ALLE |
|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | | 3 | | T. 4 | | an ann an |
| . Professor (Tuberculosis and Respiratory Diseases) | 01* (2002) *Subject to v dependent of | variation n work-load. | | ntral Service, Gazetted, erial | Rs. 18,600-50 Non-practici | | |
| | | | | 100 | r - neitheile finn | | mile is |
| Whether Selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post | A | ge limit for direc | ct recruits | nar Ala | Whetherben of Service ad 30 of the Cer (Pension) Ru | missible u tral Civil | nder rule Services |
| .5 | and the second | 6 | an a | and the second sec | 7 | ····································· | 98 1.45. (1911) - 194 |
| Not applicable | Not exceedi | ng fifty year's | | | Ye | 3 (1997) | |
| end the part of the | (Relaxable : accordance Central Gov | with the instru | t Servants up actions or orde | to five year's in the sissued by the | n c | | |
| | candidates for those i | in India (and no n Assam, Meg Janipur, Nagala | ot the closing ghalaya, Aru and, Tripura, | plications from date prescribe nachal Pradesh Sikkim, Ladak | a 1, h | | |
| | District and | d Pangi Sub-Di Pradesh, Andan | ivision of Ch | Lahaul and Spi amba District c obar Islands c | of | node () drift and geologica | egarose) Topes 1 |
| Educational and other quali required for direct recruits | District and Himachal I Lakshadwe | d Pangi Sub-Di Pradesh, Andan | ivision of Chanan and Nic | amba District c | - Method of r | ecruitment cruitment y deputation centage o | nt whether or by pro- on/absorp- f the posts |
| Educational and other quali required for direct recruits | District and Himachal I Lakshadwe | d Pangi Sub-Di Pradesh, Andan ep). Whether age a tional qualifica cribed for direc will apply in th | ivision of Chanan and Nic nan and Nic and educa- ations pres- ct recruits ne case of | Period of pro- | - Method of r by direct rea motion or by tion and per | ecruitment cruitment y deputation centage o | nt whether or by pro- on/absorp- f the posts |

| 8 | | |
|---|---|--|
| i) Ten year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/ Teaching institution. | Base Annos sonia: en los c a sensitiva cu n capo havibio e to the prot | B. The requirements (Jherre) Reader (Table) (John (Jherre) (Jisease) with 2 years in in the grade with ourse alongo ith outsiders and a its selected for appointment (Jheatans shalf be disented (Jhed by anomation) |
| ate 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. bet 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the | recturia of sligible fet ardepatation. at be eligit is | The Departmental Officer is account who are in the di- prometion shall not be a posidention for appointment o highlight departments shalls or consideration for appoint |
| discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up | manning this reacting this some other the Central or excurr the entral for when the chart user b | Perford on Depression and a performation depression and an addression of Neuranout, and an addression of the series of regarization depression of the entropy and the series of the Antoneous and the series of a series of the series of the entropy of the series of the entropy of the series of t |
| the posts reserved for them. Desirable : Minimum four Research Publications ndexed in Index Medicus/National ournals and one Research Publication n International Journals. | | in to gate this part to be |
| Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National ournals and one Research Publication in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorp- | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | |
| Desirable : Minimum four Research Publications ndexed in Index Medicus/National ournals and one Research Publication n International Journals. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruit |
| Desirable : Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National ournals and one Research Publication in International Journals. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorp- | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition 13 Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confir- mation): 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruit ment 14 Consultation with Union Publi Service Commission is necessar on each occasion. |

The Departmental Officer in the grade of П. Reader (Tuberculosis and Respiratory Diseases) with 2 year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

12

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of receipt of applications).

(iii) Fon year's experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four year's should be as Reider/Associate Professor in a Recognized Medical Colloger Teaching institution.

Note'1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise hoilificarp llow

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes of the Scheduled Tribes. If at any stage of setection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient mon) soublidates from qu'hit of oldelin zo od or gloziil

- million and the

| | | the Charles States in the | | T 123125175021385 |
|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | SU | Manuan four Research Publicatio |
| 2. Reader (Tuberculosis and Respiratory Diseases) | 01* (2002) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Group 'A' Gaze Non-Ministerial | tted, | Rs. 16,350-450-18,600-500-20,100/- PLUS Non-practicing Allowance |
| teini J dant a ni zaoanizina a | motioa Commit. | (a Degarmental Pro | | na anna anna anna anna anna anna anna |
| and an strong of a strate or de three from the ai boltome | ni nobisodu | erists, what is its 6 |) | deputation/absorptifut, grades from |
| 4 | Not exceeding fifty year's (Relaxable for Governm accordance with the im- | ent Servants upto 1 structions or orders | five year's issued by | the contract of the contract o |
| and a set of the notion line. A set of the s | Note 1: The crucial date be the closing date fo candidates in India (and for those in Assam, M Mizoram, Manipur, Nag division of Jammu and district and Pangi Sub- Himachal Pradesh, And Lakshadweep). | for determining the r receipt of appli l not the closing da feghalaya, Arunac galand, Tripura, Sil Kashmir State, Lah division of Cham | age limit s cations fi the prescri- chal Prad kkim, Lac haul and S ba distric ar Island | rom ibed esh, esh, hakh WarataxingsO monto mak Spiti — Manufaki st of slang wogolan, gribbol (i) (a) |
| | a kashi damabaa | d') astigadithes | <u>[</u> | MADL 2510 10 Province all mi |
| 8 | | 9 | 10 | bus malerings 4 - Autoor |
| Recential : | Age : No. | (| Dne year f | or Promotion/deputation (includ |

ing short-term contract) failing Essential: direct recruits. Educational (i) A basic University or equivalent which by direct recruitment. Qualifications: Yes qualification included in any one of the Schedules to the Indian

Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;

8

- M. D. (Tuberculosis)/M. D. (T. B. and Respiratory Diseases)/M. D. (Medicine) with T. D. D., D. T. D., or D. T. C. D./M. D. (T. B. and Chest Diseases) from a recognized University/Institution or equivalent.
- (iii) Five year's teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.
- Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
- Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : Minimum four Research Publications (Control June 2012 Incomes rol) for Advanta(R) indexed in Index Medicus/National Control advictorized and the control action Journals.

| | <u>Ille Internet and an</u> | 12 | 14 |
|--|---|---|----|
| I2 Promotion/Deputation (inclusion-inclusion): | e Govern- es/Statutory ganizations/ ests on regular eservice in posts Rs. 14300- ; and onal and other ibed for direct n (8). ficer in the grade | 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh | |

i) protects the cases) which we can a reprise set too in the grade with also be controls adong with outsiders and in ease heistic is selected for appointness to the post. The same shall be deemed to laste been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feader entrept, who are in the direct line of pranticities shall not be eligible for construction for appointment on deputation. Similarly, deputations, shall not be eligible for econstruction production.

Period of Deputation? Ontend including periodorf reputation? Ontend in another exandre particle in the same of same officer exappointment in the same of same officer officer and the same of the Central Ooverteent shall ordinarily not exceed in e years. The meaning efficient for appointment by depictment (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year is as un the depiction of reacting of reacting of the contract).

[Part II-Sec. 3(i)]

[(==

ग्व ह, 02

何

STR

76 K

in ;

ব্বীয সম্ম

Frie

STIL

1853

| | and a second | en anten la companyage | na nana mananana manana manana manana manana manana ana | 2 | |
|---|--|---|---|--|--|
| Respiratory Diseases) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. | | 66) and neura be registered in a ne Madical Register or Indian adical Register D. (Tuberculosis)/M. D. (T. B d Respiratory Discusses/M. D. | | | |
| | | hug fi T boxhiyo20 | or D. T. C. D./M. D. (Chest Biseases) from a r University/Instituti | | |
| ll not be eligible opointment by | | lity-after qualificate | Five year's teaching cut the concorned specta acquiring postgraduate | (89) | |
| or some other | | eoognized Feach(ng | Lectured conter in a r Medical College/ Institution | | |
| of the Central y not exceed five it for appointment ort term contract) six year's as on | | noin Leit eincisse | The discretion, of 1 Public Service Com | Note | |
| | | | den state i scara nogo Al Tadi Son of Taci Tu | | |
| 2 | 3 | oliter ende | | | |
| 01* (2002) *Subject to variation dependent on workload | Group 'A' Gaz | etted. 11 | PLUS Non-practicing A | 50-18,150, Allowance | |
| | | | nibute to tabute exitention applit | | |
| | 6 | 1.111 1.12 1.11 | a de la composición de las estas de las | | |
| Not exceeding fifty year' | S | | | diam'r | |
| central Government). | ISTRUCTIONS OF OTHER | 3 133100 0 1 | | itaitei Soluti Ironal | |
| the closing date for receiption in India (and not the clo Assam, Meghalaya, Arun Nagaland, Tripura, Sikk Kashmir State, Lahaul Disting of Chamba Dist | pt of applications i osing date prescrit nachal Pradesh, Miz im, Ladakh Divisio and Spiti District rict of Himachal Pra | oram, Manip on of Jammu and Pangi S | e in bur, and ub- nan | genera Prode Prode Pro | |
| | | a, tristaury | | | |
| 9 | | 10 | . 11 | | |
| | | | Direct recruitmen | + | |
| | rade will also be outsiders and in for appointment shall be deemed promotion. r in the feeder direct line of e eligible for nt on deputation. Il not be eligible pointment by ntract including net in another ex- y preceding this or some other of the Central y not exceed five it for appointment ort term contract) six year's as on of applications.) 2 01* (2002) *Subject to variation dependent on workload Not exceeding fifty year' (Relaxable for Governm accordance with the in Central Government). Note : The crucial date for the closing date for recei in India (and not the clos Assam, Meghalaya, Arun Nagaland, Tripura, Sikk Kashmir State, Lahaul Dist | arade will also be outsiders and in for appointment shall be deemed promotion. r in the feeder direct line of e eligible for an on deputation. Il not be eligible oppointment by ntract including tect in another exactly preceding this or some other of the Central ynot exceed five it for appointment ort term contract) six year's as on of applications.) 2 3 01* (2002) General Central Group 'A' Gaz Non-Ministeria 6 Not exceeding fifty year's (Relaxable for Government Servants upto accordance with the instructions or order: Central Government). Note : The crucial date for determining the athe closing date for receipt of applications fin India (and not the closing date prescritt Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Miz Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divisiteria | with two year s and begins and in for appointment shall be deemed promotion. and begins and in for appointment shall be deemed promotion. r in the feeder direct line of celligible for an odeputation. and for appointment by the appointment of the Central ynot exceed five the appointment of the contract) appointment the applications.) and appointment the applications of the contract of the con | rade will also be outsiders and in for appointment shall be deemed promotion. r in the feeder direct line of c eligible for in ot be eligible pointment by thract including ter in another ex- promotion. If not be eligible pointment by thract including ter in another ex- proceeding this or some other of the C entral y more efficient of three offices of the entral types of the entral types of the first state of the entral types of the entral types of the first state of the entral types of the entral types of the three offices of the entral types of the entral types of the provide the entral types of the entral types of the entral types of the type of the C entral y more efficient of the entral types of the entral types of the of the C entral y more efficient of the entral types of the entral types of the of the C entral y more efficient of the entral types of the entral types of the of the C entral y more efficient of the entral types of the entral types of the of the C entral types of the entral types of the entral types of the of the C entral types of the entral | |

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 28, 2002/पौष 7, 1924

| 8 | |
|---|---|
| (ii) M. D. (Tuberculosis)/M. D. (T. B. | र्ष दिल्ली, 12 दिसन्तर, 16 |
| or D. T. C. D./M. D. (T. B. and Chest | स्म.व्यतीर 524 - संपूर्णने आंगण के अनुव्येष एक के प्रव्युक हुत प्रतु (पुरावकालय परिवर) भरती निषय, 1973 को विकाय एन वली के जनवात्रात करते हुत स्वास्थ्य संचा महाकि फ्रालप में पुस्तकालन किसिक के पर के जहीं की पहुलि क |
| (iii) Three years' teaching experience | । संक्षिप्त माम और प्रारंभ - (1, 5) (त्ययों का मोत्रिक नात स्वतन्त्र क है। |
| in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualifica- tion as Lecturer/Registrar/Senior | (2) ये समयम में प्रकाशन को सारीज को प्रकृत होंगे। |
| Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/ | 2. पद संख्या, नगीकरण और वेलन्मान, उल्ल पदो की संख्या त्रयात्र उपायुद्ध नतुषुयी के स्वीप (2) से स्वाप (4) में [व]वैद्यिद है। |
| Teaching Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at | 3. भारती की पद्धति, आयु गोमा, अतिवध् आदि,— इतत पट पर पती ने होगी को उसत अनुस्तानी के म्वरम्स (5) से स्वरूप (14) न निविधिष्ट हैं। |
| the discretion of the Union Public Service Commission in | भग्ने के रुवे के लाख (3) से लाख (3) में जावादार है। भैः निष्ठेता. – वह खांच्छ – |
| case of candidates otherwise | (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिल्ला भी पाराही नाली चीनित है. |
| Note 2 . The qualification(s) regarding | (ख) जियने अपने प्रति क अपनी के जीवित रहते हुए कियों क |
| experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public | उम्ल पद पर नियुच्चित का पात्र करों होगा : |
| Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the | परन्तु यदि केन्द्रीय करणर का भर माधकों के लाभ हे कि ऐस निवार, तभ जातीय अनुस्रम हे और ऐसा करने के लिए अन्त होना हु के के न्द्र मिली ज्योंका हो ह |
| Scheduled Tribes. If at any | ्रांगविल कम्पादार्गावर — १९१२ - १९१३ मध्येय दो पर सन्द । कारणी देखें सम्प्रयम् जन्म ३१ लिपमें ५ १४ ११ जन्म र वेग गरनों पर युवन्द - |
| Public Service Commission is of the opinion that sufficient | |
| number of candidates from these communities possessing | 6 ज्यावृति |
| the requisite experience are not | विषय प्रयम के व्यक्तिय स्थलए एकान्य याचे व्यक्ति । |
| likely to be available to fill up the posts reserved for them. | <u>ः वर्षस्थित्रकारतः — । २०१८वर्षने प्रांत को तर्पत्र</u> वेद्रान्तः व ् जान् दुर्घभक्तेयां के, उका अनुसूत्रां वे प्रारम्भः नाज हो प्रक्रम का ने रहा नाम |

| 12 | | 13 במתקי ולים, וביות שמותה יונה (התקדור אין | | Consultation with Union | |
|----------------|---|---|---------------------------|-------------------------|--|
| Not applicable | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confir- mation): | | Public Serv necessary. | vice Commission is | |
| | 1. Home Secretary, Chandigarh Administration | -Chairman | | | |
| | 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration | Member | | | |
| | 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. | -Member | | | |
| | 4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh | -Member | odzi nedata v | ज्हामोरू , | |

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II] S. K. MISHRA, Under Secy.